446

मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च–मई, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल, 1998 (वैशाख 4, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 38 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ऊर्जा मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 15 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामनरेश त्रिपाठी, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री धरमू राय, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में विद्युत लाइन से फसलों में आग लगने से हुई क्षति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रामलखन सिंह (त्योंथर), बच्चन नायक, सदस्य, रीवा शहर की चिरहुला कालोनी में दूषित पेयजल का प्रदाय होने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री सुरेश राय, सदस्य, होशंगाबाद जिले के बाबई कृषि प्रक्षेत्र के परियोजना अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री गोविन्द मिश्रा, गोपीकृष्ण नेमा, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य, सीधी ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के लोक निर्माण विभाग के संभाग क्रमांक-एक में पुल पथकर घोष विक्रय में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम महुआखेड़ा खुर्द में तेजाब से जलाये जाने की घटना घटित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री बच्चन नायक, सदस्य, राज्य वस्त्र निगम द्वारा बुनकरों को वित्तीय व वस्त्र खरीदी की सुविधा न दिये जाने की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) डॉ. रमन सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम बम्हनी में जीवनधारा योजना कार्य में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम पटलावदा में चेचक से बच्चों की हुई मौत की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री विक्रम सिंह उसेंडी, सदस्य, रायपुर जिले की महानदी जलाशय परियोजना के रूद्री बांध में डूबान भूमि के आबंटन में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री रघुनंदन शर्मा, सदस्य, राजगढ़ जिले के माचलपुर कस्बे में पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को प्रताड़ित किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम बेल्दी में अनुसूचित जाति के परिवारों के मकान जलाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

निर्धारित समय	**4. वर्ष 1998-99 के अनुमानों की मांगों पर मतदान**	**(क्रमशः)**
2 घन्टे 30 मि. (शेष 1 घन्टा 48 मि.)	(1) मांग संख्या 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
	मांग संख्या 30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.
	मांग संख्या 80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.
	मांग संख्या 82	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.
	मांग संख्या 84	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.
	मांग संख्या 86	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें.
1 घन्टा	(2) मांग संख्या 36	परिवहन.
30 मि.	(3) मांग संख्या 55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.
30 मि.	(4) मांग संख्या 26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय.
	मांग संख्या 37	पर्यटन.

5. अशासकीय विधि विषयक कार्य

25 मि. श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 10 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. अशासकीय संकल्प

(1) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

25 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश की विभिन्न कोयला खदानों से विस्थापित हुए परिवारों को खदान प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से आदर्श पुनर्वास की व्यवस्था उपलब्ध करायी जावे."

(2) सर्वश्री नेमीचन्द जैन, मांगीलाल भण्डारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

25 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश में बहने वाली समस्त नदियों को आपस में जोड़कर एक "वाटर ग्रिड" बनाया जाए."

(3) श्री रमाशंकर भारद्वाज, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

25 मि. " सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के गांवों में जो किसान जिनकी संख्या पांच या पांच से अधिक हो उनके खेतों में सामुदायिक सिंचाई हेतु शासन की तरफ से उत्खनन करवाकर उनको सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाय."

(4) श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

25 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश के विभिन्न नगरों में कार्यरत विकास प्राधिकरणों एवं नगर सुधार न्यासों द्वारा नागरिकों को आवासीय भूखण्ड बेचे जाने पर प्रतिवर्ष भू-भाटक लेने के स्थान पर एक मुश्त भू-भाटक राशि लेकर भूखण्डों का मालिकाना हक संबंधित नागरिकों को प्रदान करने हेतु राज्य शासन कानून बनाए."

(5) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

25 मि. " सदन का मत है कि जो प्रायवेट नर्सिंग होम शासकीय मानदण्डों की पूर्ति करते हों उनमें से ऐसे प्रमुख नर्सिंग होम जो हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, डायलेसिस, कैंसर और दुर्घटना संबंधी आपात व्यवस्थाओं के इलाज हेतु आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित हों, सक्षम हों, उन्हें राज्य शासन मान्यता प्राप्त घोषित करे तथा ऐसे नर्सिंग होम में प्रदेश के शासकीय सेवकों को उनसे इलाज कराने पर चिकित्सा देयकों की पूर्ति की सुविधा दी जाय."

भोपाल :
दिनांक : 23 अप्रैल, 1998

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा